

20/25/160

नाम अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर मुकाम अलवर

उनवान कैलाश बनाम तहसीलदार टहला

किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन प्रा0प0 15/06/2025 प्रस्तुत दिनांक:- 14.07.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की वितृत बहस सुनी गई। बहस पूर्ण। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अवगत कराया की दिनांक 26.05.2025 को प्रार्थी उदयेन्द्र स्वामी को अपनी रिश्तेदारी में आवश्यक कार्य होने से न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हो सका एवं प्रार्थीगण के वकील उस दिन किसी दीगर केस में सिविल न्यायालय में व्यस्त हो गये। प्रार्थीगण की कोई बदनियती इसमें नहीं है।</p> <p>वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात को अध्ययन व अवलोकन किया। मूल पत्रावली अदम हाजिरी किये जाने से पूर्व वास्ते बहस नियत थी जिसमें प्रार्थीगण के हित प्रतीत होते हैं। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न हो। मूल पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16.12.2025 को पेश हो।</p>	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)